(110)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग. 1542-एक/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.08.2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 60/अपील/2001-02.

अब्बास पिता सत्तार खां
निवासी- ग्राम बलकवाड़ा तहसील कसरावद
जिला खरगौन .....आवेदक

विरूद्ध

1. जगदीश पिता मिश्रीलाल ब्राह्मण
2. अरूण पिता मिश्रीलाल ब्राह्मण
3. विनोद पिता मिश्रीलाल ब्राह्मण
4. कमल पिता मिश्रीलाल ब्राह्मण
   निवासी ग्राम पंधाना तहसील खरगौन
   जिला खरगौन, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री मुकेश तारे, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/9/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 18.08.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार, कसरावद के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 एवं 190 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बलकवाडा तहसील कसरावद स्थित सर्वे नम्बर 207 रकबा 2.85, सर्वे नम्बर 208

रकबा 0.40 एवं सर्वे नम्बर 853 रकबा 3.64 एकड़ कुल रकबा 6.59 एकड़ भूमि, जो कि अनावेदकगण के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है तथा उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम वर्ष 1950-51 से कब्जेदार के नाते राजस्व अभिलेख में दर्ज है, अतः अनावेदकगण का नाम कम किया जाकर, आवेदक का नाम अंकित किया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 1/अ-46/1998-99 दर्ज कर दिनांक 20.06.2001 को आदेश पारित पारित कर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित किये जाने का आदेश दिया । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, कसरावद के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19.11.2001 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18.08.2008 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार प्रस्तुत किये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश संहिता की धारा 109, 110, 190 के प्रावधानों के विपरीत होकर निरस्ती योग्य है।

(2) नायब तहसीलदार के न्यायालय में आवेदक द्वारा अपनी साक्ष्य से अपना पक्ष सिद्ध किया है, जबकि अनावेदकगण प्रकरण में उपस्थित होने के बाद एकपक्षीय रहे हैं और उनके द्वारा प्रकरण में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के रिकॉर्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किये बगैर ही आदेश पारित कर विधिक त्रुटि की गई है। प्रकरण के रिकॉर्ड पर आवेदक द्वारा उसका कब्जा उस समय 50-60 साल पुराना होना सिद्ध किया है, जिसके संबंध में आवेदक द्वारा 1951-52 से 1967-68 की नकल पेश की है, जिसके कॉलम नंबर 12 केफियत के स्थान पर आवेदक का नाम व कब्जा है। आवेदक वादग्रस्त भूमि की तौजी जमा करने की रसीद भी पेश की है। अतः इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य है।

(4) संहिता की धारा 169()2 के तहत अधिपित्त कृषक के अधिकार ऐसे पट्टेदार को दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त हो जाते हैं, परंतु इस प्रकरण में आवेदक का कब्जा वर्ष 1950-51 से लगातार चला आ रहा है। यह प्रमाणों से सिद्ध होता है। संहिता के प्रवृत होने के पूर्व से आवेदक दाविया भूमि पर कब्जा है, जिसके आधार पर उसे मौरूषी कृषक के अधिकार प्राप्त होने से नामांतरण कराने का अधिकारी हो जाता है। अत: इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य है।

(5) अनावेदकगण का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय रहना व इस न्यायालय के समक्ष भी एकपक्षीय रहना यह सिद्ध करता है कि अनावेदकगण आवेदक का आधिपत्य मानता है। अत: इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य है।

(6) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 165(1), 169, 190 के प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित कर त्रुटि की है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश 2002 रा.नि. 23 में स्थापित सिद्धांत अनुसार आवेदक का एवं उसके पूर्वाधिकारी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का अनावेदक द्वारा खंडन नहीं, न ही अनावेदक ने आवेदक के अधिकारों को आक्षेपित किया, अनावेदक की मौन स्वीकृति का अनुमान किया जा सकता है। मौरूसी कृषक तथा भूमिस्वामी के अधिकार आवेदक को स्वत: प्रोद्वभुद हो जाते हैं। अत: इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य है।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 20.06.2001 स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का लम्बे समय कब्जा होने से मौरूसी कृषक के स्वत्व प्राप्त होने के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण का नाम कम कर, आवेदक का नाम दर्ज किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण कार्यवाही है, क्योंकि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर संहिता की धारा 190 लागू नहीं की जा सकती है । अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी का आदेश

स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा भी कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समवर्ती हैं । इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं । दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा उठाये गये आधार अमान्य किये जाते हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2008 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर